न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस.

अपील संख्या: 177/2022 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2022/147**

कृष्ण कुमार पुत्र होशियार सिंह जाति यादव निवासी खेड़ी तहसील व जिला झज्जर हरियाणा।
— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज।
— रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री बालकिशन शर्मा — अभिभाषक अपीलांट
श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः 13.03.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर के आदेश दिनांक 14.07.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि अपीलांट ने ग्राम करणीसर भाटियान में जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 14.05.2007 को खरीद की थी। उक्त भूमि का नामान्तरकरण बैयनामे के आधार पर नामान्तरण संख्या 387 दिनांक 20.05.2007 द्वारा दर्ज किया गया था। अपीलांट के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 14.05.2007 आदिनांक तक स्टैण्ड कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश दिनांक 14.07.2008 द्वारा अपीलांट के पक्ष में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 387 को निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2008 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री बालकिशन शर्मा ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट की खरीदशुदा खातेदारी भूमि है, जो अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 14.05.2007 आदिनांक तक स्टैण्ड कर रहा है। बैयनामें के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण को बैयनामें के अस्तित्व में रहते निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलांट ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई किसी अधिसूचना का उल्लंघन किया गया है तो अपीलांट के पक्ष में हुए बैयनामें को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाने की कार्यवाही करनी चाहिए थी, ना कि बैयनामें के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण को निरस्त करने की। अधीनस्थ न्यायालय ने इकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर किये अपीलांट के पक्ष में दर्ज नामान्तरण संख्या 387 निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 16.06.2008 को लिखा गया कि अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीराज मोहता उपस्थित और उन्होने आगामी तारीख पेशी पर वकालतनामा पेश करने का निवेदन किया है जबकि वास्तव में अपीलांट को उक्त प्रकरण के संबंध में कोई नोटिस नहीं मिला और ना ही

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांट ने कभी गिरीराज मोहता नामक वकील को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया। अपीलांट के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सूचना देकर सुनवाई का अवसर देना चाहिए, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। इन परिस्थितियों में आदेश जैर अपील निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील को निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित आर.आर.डी. का हवाला दिया हैं–

1. आर.आर.टी. 2012(1) पेज संख्या 374
2. आर.आर.टी. 2013(1) पेज संख्या 383

3– विद्वान राजकीय अभिभाषक मोहम्मद इम्तियाज अली ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट द्वारा सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ही प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर कृषि भूमि के कब्जा लिए जाने की कार्यवाही की गई है तथा ऐसे क्षेत्र में सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना प्रवेश किए जाने की कार्यवाही को शुरू से शून्य माना जाता है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर के निर्णय दिनांक 14.07.2008 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 387 दिनांक 20.05.2007 को खारिज कर दिया गया था, जो न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि बीकानेर का पुलिस थाना क्षेत्र पूगल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित है। जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश निषेध है। स्वाभाविक है कि खरीददार सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना प्रवेश नही कर सकता। कब्जा काश्त भी भौतिक रूप से खरीददार का नहीं हो सकता। इसलिए खरीददार के नाम नामान्तरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2008 पारित करते हुए नामान्तरकरण संख्या 387 दिनांक 20.05.2007 को निरस्त किया, जो न्यायोचित है। हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलांधीन आदेश दिनांक 14.07.2008 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझतें। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5– तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 13.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/3/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर